भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1587

(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

रोजगार सृजन

1587. श्रीमती संगीता आजादः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का विचार, विशेषकर मध्य भारत में जहां आदिवासी समुदाय ग्रामीण बेरोजगारी से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का ध्यान परिसंपत्ति सृजन से रोजगार सृजन की ओर किस प्रकार केन्द्रित करने का है;

(ख) मनरेगा को और अधिक मांग आधारित और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय पठार में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषकर ग्रामीण रोजगार में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने वाले आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए संदर्भ-विशिष्ट सिंचाई प्रोटोटाइप तैयार करने हेतु किन-किन पहलों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार व्यापक कार्यान्वयन के लिए सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करेगी और मौजूदा प्रोटोटाइप का लाभ उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार मनरेगा की कम मजदूरी दर के मुद्दों पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो मंत्रालय के इस मुद्दे का समाधान किस प्रकार करने और यह सुनिश्चित करने की योजना है कि मजदूरी दरें प्रतिस्पर्धी हों और राज्य की न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप हों; और

(छ) क्या रोजगार के अवसरों में और वृद्धि करने के लिए कार्यदिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम

सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, मजदूरी रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में उत्पादक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का सृजन स्वयं की भूमि पर भी किया जा सकता है जिसमें वे परिवार स्वयं भी कार्य कर सकते हैं और वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों सहित) के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 5 में निर्दिष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाले कार्यों को निम्नलिखित परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या वासभूमि पर प्राथमिकता दी जाएगी:

क. अनुसूचित जाति
ख. अनुसूचित जनजाति
ग. घुमंतू जनजातियाँ
घ. विमुक्त जनजातियां
ड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य परिवार
च. परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हैं
छ. परिवार जिनके मुखिया दिव्यांगजन हैं
ज. भूमि सुधार के लाभार्थी
झ. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी
ञ. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत लाभार्थी और उपर्युक्त श्रेणियों के तहत पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के बाद कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे परिवारों के पास एक जॉब कार्ड होगा जिसमें कम से कम एक सदस्य उनके द्वारा भूमि या मकान पर शुरू की गई परियोजना पर काम करने के लिए तैयार होगा।

यह योजना सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए उपलब्ध है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। इसके अलावा, वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को अतिरिक्त 50 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

(ग): ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए गए कार्यों की योजना वाटरशेड प्रबंधन उपचार के लिए पर्वतों-से-घाटियों तक (रिज-टू-वैली) दृष्टिकोण के साथ जीआईएस आधारित योजना के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से बनाई जा रही है। ग्राम पंचायत में जीआईएस योजना के तहत नियोजित कार्यों को संतृप्ति मोड में किया जा रहा है। मैदानी स्तर पर कार्यान्वित कार्य ऊपरी, मध्यम और निचली पहुंच के अनुसार होते हैं। वर्षा, स्थलाकृति, जलवायु और भूमि उपयोग भूमि क्षेत्र के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रकार की योजना तैयार की जाती है। क्षेत्र में सिंचाई आवश्यकता की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रीय पठार के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ-विशिष्ट सिंचाई प्रोटोटाइप में भी उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(घ): क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक परियोजना है जिसका उद्देश्य बेहतर समन्वय, आयोजना और इसके कार्यान्वयन के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण में केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तालमेल का लाभ उठाने की बहुआयामी कार्यनीति के साथ आकांक्षी जिलों/पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी की समस्या का समाधान करना है। इस परियोजना में 117 आकांक्षी जिलों के 250 ब्लॉक और राज्यों द्वारा चुने जाने वाले अन्य जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के 50 ब्लॉक शामिल हैं। यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में विभिन्न स्तरों पर या तो सामाजिक संगठनों (ब्लॉकों में) के माध्यम से या मानव संसाधन एजेंसियों के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(ड.) और (च): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा इसके लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर हर वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। श्रम ब्यूरों, शिमला द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह सूचकांक अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। यदि किसी राज्य की परिकलित मजदूरी दर पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर से कम होती है तो पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर को जारी रखते हुए इसे बनाए रखा जाता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से लागू की जाती है।

यह मंत्रालय केन्द्रीय रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कृषि अथवा अन्य के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरों का रिकार्ड नहीं रखता है। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

(छ): कोई प्रस्ताव नहीं है।

******